

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
(आ० 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर इटावा जिला कोटा (राज०)

पीठासीन अधिकारी- रामावतार मीणा (आर.ए.एस.)

उनवान

- 1- जमनालाल पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज०)
- 2- प्रहलाद पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज०)

(वादीगण)

बनाम

- 1- केला बाई बेवा रामगोपाल जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा
- 21- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा(राज०)

(प्रतिवादीगण)

- 1- वादीगण की ओर से श्री इन्द्रजीत मीणा एडवोकेट
- 2- प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से श्री पृथ्वीराज वैष्णव एडवोकेट

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर टी एक्ट

मि० नं० 20/2018


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 को ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की जमाबन्दी सम्बत 2070-2073 खाता संख्या नई 20 पुरानी 18 में खसरा नम्बर 162 रकबा 0.91 है०, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 337 रकबा 0.84 है०, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.68 है०, खसरा नम्बर 476 रकबा 0.24 है०, खसरा नम्बर 492 रकबा 0.67 है०, खसरा 500 रकबा 0.85 है०, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.46 है०, खसरा नम्बर 593 रकबा 0.67 है०, खसरा नम्बर

सहायक कलेक्टर एवं कैम्पलक मनिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

667 रकबा 0.97 है0 कुल कित्ता 10 रकबा 6.34 है0, कृषि भूमि में 1/3, 1/3 हिस्से का पृथक पृथक खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 11.11.2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		


 सहायक कलेक्टर एवं कायपालिक मजिस्ट्रेट
 सहायक कलेक्टर
 इटावा